(121)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1180–तीन/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–2–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 630/अपील/2014–15.

.....

नंदकिशोर पांचाल आत्मज श्री मिश्रीलालजी
निवासी–2, झरण कालोनी पीपली नाका चौराहा
उज्जैन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मांगीलाल आत्मज श्री हरिराम
2–दामोदर आत्मज श्री हरिराम
निवासीगण ग्राम हीडी तहसील नागदा जिला उज्जैन ..... अनावेदकगण

.....

श्री एन.एस.सिसौदिया, अभिभाषक–आवेदक
श्री बी0एल0वाकलिया, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 28/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम इटावा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन स्थित भूमि सर्वे कमांक 406 रकबा 1.121 हेक्टेयर अनावेदकगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–9–2002 को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के प्रकरण कमांक 65/अ–3/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 25–5–1990 के आधार पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया, जबकि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा किसी

प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 12–4–2013 को प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–5–15 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मान्य कर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–2–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई थी, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का निरन्तर नाम दर्ज चला आ रहा है एवं कब्जा भी आवेदक का है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अपर आयुक्त द्वारा इस स्थिति पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि तहसीलदार द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश का अमल किया गया है, पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25–5–1990 को आदेश पारित किया गया है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा बिना सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का अभिलेख मंगाये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि, तहसीलदार द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के जिस आदेश के आधार पर

आवेदक का नाम दर्ज किया गया है वास्तव में ऐसा को आदेश सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित ही नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है जिसके संबंध में समय सीमा लागू नहीं होती है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि उसे प्रश्नाधीन भूमि पर कैसे और किस प्रकार अधिकार प्राप्त हुये हैं । तहसीलदार द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी पूर्णतः उचित है कि आवेदक प्रारंभ से ही अपने हितों के प्रति लापरवाह रहा है । इसके अतिरिक्त नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि भी संदिग्ध प्रतीत होती है । ऐसी स्थिति अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर